POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 08-10-2024

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर हत्यारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तंमचा .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व मृतक का मोबाइल फोन बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 07.08.2024 को स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट में बनी सीट पर बैठे एक 72 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद अभियुक्त मृतक का मोबाइल फोन घटना स्थल से साथ लेकर चला गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 600/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में कई पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08.10.2024 को **थाना बिसरख** पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले शातिर अभियुक्त मलकीत सिह उर्फ लोलिया डान पुत्र वीर सिह को मोरफस सोसाइटी से जलपुरा की तरफ जाने वाले सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तंमचा .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर व मृतक का घटना स्थल से ले जाया गया मोबाइल फोन रेडमी कम्पनी बरामद किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्ध दर्जनो मुकदमें दर्ज है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा उक्त घटना के संबंध में पिछले 2 महीने में करीब 800 सीसीटीवी कैमरा देखे गए थे।

1- 60 से अधिक लोगो से पूछताछ हुई जिनके नंबर टॉवर डंप में आये हुए थे और कॉल रिकार्ड्स संदिग्ध थे।
2- 10 टीमें लगातार इस घटना का सफल अनावरण करने में लगी हुई थी।
3- 15 से ज़्यादा नंबर्स अलग-अलग समय पर डायवर्सन पर थे ।
4- पूर्व में इस अभियुक्त द्वारा दिल्ली में कहासुनी होने पर पार्क में इसी तरह की मर्डर की घटना कारित की गयी थी।
5- पुलिस द्वारा स्कैच बनवाकर अभियुक्त के बारे में पता लगाया गया।

अपराध करने का तरीका-- पूछताछ पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि करीब 2 महीने पहले मैं सूरजपुर से गौर सिटी की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में खाने-पीने की रेहडी दिखायी दी थी जहाँ से मैं पानी व नमकीन लेकर वही एक पार्क में सीट पर बैठकर शराब पीने लगा था उसी सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था और मुझसे बोला कि यह पार्क है, यहाँ शराब मत पियो। इस पर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि पार्क आपका नही है तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे साथ गाली-गलौच करते हुए मेरी शराब को गिरा दिया था और लगातार मेरे साथ गाली-गलौच कर रहा था जिससे मुझे गुस्सा आ गया था इसके बाद मैंने उस व्यक्ति के पीछे जाकर अपने तमंचे से उस बुजुर्ग व्यक्ति के सिर मे गोली मार दी थी और मैं उस व्यक्ति का मोबाइल उठा कर चला गया था।

अभियुक्त का विवरण--

1. मलकीत सिह उर्फ लोलिया डान पुत्र वीर सिह निवासी रानी गार्डन बी ब्लाक वीगा बौण्ड गीता कॉलोनी, थाना गीता कॉलोनी दिल्ली उम्र 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 210/2011 धारा 377/511/506 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 119/2013 धारा 323/302/34 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 339/2017 धारा 379/34/356 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 302/2017 धारा 379/356 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 440/2017 धारा 392/397/34 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
6. मु0अ0सं0 445/2017 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
7. मु0अ0सं0 213/2023 धारा 380/411 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
8. मु0अ0सं0 224/2023 धारा 379/411 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
9. मु0अ0सं0 18835/2023 धारा 379/411/34 भादवि थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
10. मु0अ0सं0 938/2018 धारा 392/411/482 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0 1783/2018 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0 1945/2018 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0 1946/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस .32 बोर
2. एक मोबाइल फोन (मृतक का)

2. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा, डिजिटल अरेस्ट कर 59 लाख 54 हजार रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग का शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 22/07/2024 को वादिया द्वारा थाना साइबर क्राइम नोएडा पर वादिया को अज्ञात अपराधी द्वारा फोन कॉल/व्हाट्सएप कॉल करके स्वयं को ट्राई विभाग का कर्मचारी बताकर वादिया के खिलाफ अश्लील वीडियों प्रसारित किए जाने के नाम पर पुलिस स्टेशन मुंबई में एफआईआर दर्ज होने व वारंट निर्गत होने तथा उसके परिवार व बच्चों को अगवा कर लेने का भय दिखाकर वादिया से 59,54,000 रुपए साइबर अपराधी द्वारा अपने बताए खातों मे ट्रांसफर कराकर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 308(2),319(2),318(4) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08/10/2024 को **साइबर थाना नोएडा** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी/ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त शिवचरन गंगवाल पुत्र स्व0 प्रेमचंद गंगवाल को सुपर नोवा बिल्डिंग के पास नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने मोबाइल को साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए रुपयों को विभिन्न खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए अपने साथी आकाश जैन निवासी इंदौर को 25 हजार रुपए किराये पर देता था। आकाश जैन अभियुक्त शिवचरन को दिल्ली में मिला था। अभियुक्त द्वारा इस तरह से मोबाइल को किराये पर देकर काफी कमीशन कमाया गया है जिसको अभियुक्त ने मौज मस्ती में खर्च कर डाला है। थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अब तक वादिया के 3 लाख 15 हजार रूपयों को वापस कराया जा चुका ।

अभियुक्त का विवरण--

1. शिवचरन गंगवाल पुत्र स्व0 प्रेमचंद गंगवाल निवासी संगम विहार, नई दिल्ली।

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 72/2024 धारा 308(2),319(2),318(4) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 मोबाइल फोन मोटोरोला (घटना में प्रयुक्त)

2- 01 मोबाइल फोन सैमसंग (कब्जे से)